नेहरू रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज़ और ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव था। इसका नाम सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, जिसे 1928 में भारत के लिए संवैधानिक परिवर्तनों पर एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए बुलाया गया था। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वशासन की बढ़ती मांग और संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता को संबोधित करना था। नेहरू रिपोर्ट के बारे में मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

पृष्ठभूमि:

- 20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ रही थी, जो स्व-शासन और विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की इच्छा से प्रेरित थी।
- ब्रिटिश सरकार भी इन मांगों के जवाब में सुधारों और संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार कर रही थी।

नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई थी और अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं:

- प्रभुत्व स्थिति: रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, जिसका अर्थ ब्रिटिश क्राउन के तहत स्वशासन था।
- संघीय संरचना: इसने भारत के लिए मजबूत प्रांतीय स्वायत्तता के साथ सरकार का एक संघीय स्वरूप प्रस्तावित किया। संघीय ढांचे की परिकल्पना ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को शामिल करने के लिए की गई थी।
- प्रतिनिधित्व: नेहरू रिपोर्ट में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव दिया गया। इसने एक निचले सदन (विधान सभा) को वयस्क मताधिकार के आधार पर और एक ऊपरी सदन (राज्य परिषद) को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाने की सिफारिश की।
- सुरक्षा उपाय: रिपोर्ट में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।
- मौलिक अधिकार: नेहरू रिपोर्ट में उन मौलिक अधिकारों की एक सूची की रूपरेखा दी गई थी जिन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया जाना था।
- व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता: इसने पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा।

स्वागत और आलोचना:

- नेहरू रिपोर्ट को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालाँकि इसे स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया, लेकिन इसे कुछ हलकों से आलोचना का भी सामना करना पड़ा।
- मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह मुसलमानों की चिंताओं और अधिकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

नतीजा:

- नेहरू रिपोर्ट भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसने संवैधानिक सुधारों पर भविष्य की चर्चाओं और बातचीत की नींव रखी।
- विभिन्न समूहों की आलोचनाओं और मांगों के जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने चर्चा शुरू की जो अंततः गोलमेज सम्मेलनों का कारण बनी, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा और बहस की।
- रिपोर्ट ने आगे के राजनीतिक विकास के लिए मंच तैयार किया, अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 और बाद में, 1950 में भारतीय संविधान के निर्माण में परिणति हुई।

नेहरू रिपोर्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि इससे तत्काल राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन इसने ब्रिटिश भारत में स्व-शासन और संवैधानिक सुधारों पर व्यापक बातचीत में योगदान दिया, जिसके कारण अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली और उसने अपना संविधान अपनाया।